


फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड कृषिकारी प्रशासनालय (प्रमर)

रामकिशोर बनाम रामनाथ

मुकदमा संख्या/वर्ष : 100 / 2019

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/12/19	<p>पत्रावली वास्तु तलवी प्रमाण हेतु दिनांक - 23/12/19 को पेश की गई।</p> <p>वादी रामकिशोर की इतरत विद्वा का प्रमाण पत्र पेश होने पर पत्रावली का पत्र पेश हुआ। वादी रामकिशोर स्वयं उपस्थित उपस्थित होकर अग्रिम निर्णय की। निरक्षर पत्रावली उनके अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुप्ता की प्रतिवादी रामनाथ स्वयं उपस्थित। इन्होंने हस्ताक्षर किए निरक्षर पत्रावली उनके अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने की।</p> <p>प्रस्तुत प्रमाण पत्र में कथित तथ्यों को वाईद करते हुए कहा कि वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है इसीलिए वाद को विद्वा कर स्वर्णिप निमा जावे।</p> <p>प्रस्तुत प्रमाण पत्र विद्वा को स्वीकार निमा जाता है तथा वाद को विद्वा करने की प्रीकृति उद्घात की जाती है तथा वाद को प्रीकृति निमा जाता है।</p> <p>पत्रावली केवल शुभारंभ के नाम से का हो वाद को विद्वा कर इतरत हो।</p>	<p>L-71' 2019/19</p>  <p>Shri Ad</p> <p>2/12/19</p> <p>Idanthesbya Kamran Kamran 3/12/19</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर</p>

